न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर

अपील संख्या - 59/19 GCMS NO 2019/00124

1. मोहम्मद अखतरउल्लाह पुत्र मोहम्मद ईस्माईल
2. मोहम्मद आरिफउल्लाह पुत्र मोहम्मद ईस्माईल
3. मोहम्मद जाहिद गुलाब पुत्र मोहम्मद ईस्माईल जातियान मुसलमान निवासी ग्राम मलारना डूँगर तहसील मलारना डूँगर जिला सवाई माधोपुर

अपीलांट

बनाम

1. नईम उल्लाह पुत्र मोहम्मद ईस्माईल खां जाति मुसलमान निवासी मलारना डूँगर हाल निवासी कागजी मोहल्ला लडडूनाथ ढावा के सामने शहर सवाई माधोपुर (मृतक)
1/1. बरकत उल्लाह पुत्र नईम उल्लाह जाति मुसलमान निवासी मलारना डूँगर हाल निवासी कागजी मोहल्ला लडडूनाथ ढावा के सामने शहर सवाई माधोपुर
1/2. मोहम्मद जोहेब पुत्र नईम उल्लाह जाति मुसलमान निवासी मलारना डूँगर हाल निवासी कागजी मोहल्ला लडडूनाथ ढावा के सामने शहर सवाई माधोपुर
1/3. शोएब पुत्र नईम उल्लाह जाति मुसलमान निवासी मलारना डूँगर हाल निवासी कागजी मोहल्ला लडडूनाथ ढावा के सामने शहर सवाई माधोपुर
1/4. रोशन आरा पुत्री नईम उल्लाह जाति मुसलमान निवासी मलारना डूँगर हाल निवासी कागजी मोहल्ला लडडूनाथ ढावा के सामने शहर सवाई माधोपुर
1/5. जहॉ आरा पुत्री नईम उल्लाह जाति मुसलमान निवासी मलारना डूँगर हाल निवासी कागजी मोहल्ला लडडूनाथ ढावा के सामने शहर सवाई माधोपुर
1/6. अल्कुम आरा पुत्री नईम उल्लाह जाति मुसलमान निवासी मलारना डूँगर हाल निवासी कागजी मोहल्ला लडडूनाथ ढावा के सामने शहर सवाई माधोपुर
1/7. इस्लाम इलाही पत्नि नईम उल्लाह जाति मुसलमान निवासी मलारना डूँगर हाल निवासी कागजी मोहल्ला लडडूनाथ ढावा के सामने शहर सवाई माधोपुर
2. मुकीम उल्लाह पुत्र नफीस उल्लाह जाति मुसलमान निवासी मलारना डूँगर हाल निवासी नाई की थडी साइरा मस्जिद के पीछे रामगढ रोड जयपुर
3. मुजीब उल्लाह पुत्र नफीस उल्लाह जाति मुसलमान निवासी मलारना डूँगर हाल निवासी नाई की थडी साइरा मस्जिद के पीछे रामगढ रोड जयपुर
4. अकीम उल्लाह पुत्र नफीस उल्लाह जाति मुसलमान निवासी मलारना डूँगर हाल निवासी नाई की थडी साइरा मस्जिद के पीछे रामगढ रोड जयपुर
5. साजिदा बेगम बेवा नफीसउल्लाह जाति मुसलमान निवासी मलारना डूँगर हाल निवासी नाई की थडी साइरा मस्जिद के पीछे रामगढ रोड जयपुर
6. बरकत उल्लाह पुत्र नफीस उल्लाह जाति मुसलमान निवासी मलारना डूँगर हाल निवासी कागजी मोहल्ला लडडूनाथ ढावा के सामने शहर सवाई माधोपुर
7. मोहम्मद जोहेब पुत्र नफीसउल्लाह जाति मुसलमान निवासी मलारना डूँगर हाल निवासी कागजी मोहल्ला लडडूनाथ ढावा के सामने शहर सवाई माधोपुर
8. शोएब खान पुत्र नफीस उल्लाह जाति मुसलमान निवासी मलारना डूँगर हाल निवासी कागजी मोहल्ला लडडूनाथ ढावा के सामने शहर सवाई माधोपुर
9. तहसीलदार लैण्ड होल्डर तहसील मलारना डूँगर जिला सवाई माधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.03.27 16:01:59 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

रैस्पो0

(अपील विरूद्ध मु0नं0 13/14 निर्णय दिनांक 6.9.19 न्यायालय उपजिला कलक्टर, मलारना डूँगर)

अभिभाषक अपीला0 श्री विनोद कुमार अग्रवाल

अभिभाषक रैस्पो0 पारस मल जैन

दिनांक 9.12.2024

निर्णय

प्रस्तुत अपील अपीला0 की ओर से अंतर्गत धारा 225 विरुद्ध निर्णय दिनांक 6.9.19 न्यायालय उपजिला कलक्टर, मलारना डूँगर पेश की है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में अपीलांट/प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय का पेश किया कि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 5 एक ही परिवार के कुटुम्ब के खास भाई है। प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 1 की शामलाती खातेदारी भूमि ख0न0 207 रकबा 8 बीघा ग्राम मलारना डूँगर मे स्थित है। जिसमे प्रार्थीगण का 1/2 हिस्सा व अप्रार्थी न0 1 का 1/2 हिस्सा है। यह भूमि सम्वत 2013–16 तक मिश्रीलाल पुत्र शंकर लाल कलाल निवासी मलारना डूँगर की खातेदारी मे दर्ज थी। उक्त आराजी प्रार्थीगण के पिता ने बैंक नीलामी मे अपने पुत्र नईमउल्लाह के नाम से खरीदी थी तथा सम्वत 2017 से 2020 मे नईमउल्लाह की खातेदारी मे आ गई। नईमउल्लाह मोहम्मद ईस्माईल का बडा लडका था जिसकी उम्र उस समय 13 वर्ष थी। अप्रार्थी न0 1 के मन मे बदनियती आ जाने के कारण सम्पूर्ण भूमि को प्रार्थीगण से छीनने लगा तो सन 1998 मे प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 1 के मध्य विवाद हो गया। तब अप्रार्थी संख्या 1 नईमउल्लाह ने प्रार्थीगण के हक मे शपथपत्र मय हस्ताक्षर सादा कागज पर दिनांक 13.4.98 को तररीर किया की मेरे पिताजी ने सर नाप का खेत 8 बीघा उन्ही की जिन्दगी मे मेरे नाम कर दिय था जो आज तक चला आ रहा है। आज हमारे सभी भाईयो के जो भूमि के हिस्से हुए है मुझे सर वाला खेत हिस्से मे दे दिया है व इसमे से आधा खेत मेरी माताजी को दूंगा बाकी पिताजी की शेष भूमि मे मेरा कोई हिस्सा नही है। मैने उक्त हिस्सा राजीखुशी से सभी भाईयो व माताजी की उपस्थिति मे किया है। इस लिखावट से स्पष्ट है कि प्रतिवादी न0 1 नईमउल्लाह ख0न0 207 रकबा 8 बीघा मे से अपने हिस्सा 1/2 यानि 4 बीघा भूमि पर काबिज था। शेष भूमि पर प्रार्थीगण काबिज है। अप्रार्थी संख्या 1 के मन मे बदनियती आ जाने के कारण उसने भूमि ख0न0 207 को अपने पुत्र 7,8,9 के नाम जरिये रजिस्टर्ड दानपत्र दिनांक 22.5.14 को कर दिया गया। जो अप्रार्थी संख्या 1 की बेईमानी है। इस प्रकार दान पत्र नल एण्ड बोईड है। प्रार्थीगण की शामलाती खातेदारी आराजी ख0न0 131 रकबा 20 बीघा 1 विस्वा मे से हिस्सा 1/2 प्रार्थीगण के हिस्से मे आई है। अप्रार्थी संख्या 1 नईमउल्लाह ने ख0न0 207 की भूमि हिस्सा 1/2 प्राप्त कर रखी है तथा नफीसउल्लाह को ख0न0 127 व 356 रकबा 4 बीघा ... बंटवारे मे दी गई थी जो सम्मिलित परिवार के रूप मे माताजी इलियास बेगम ... घर ... पैसो से खरीदी थी। इस भूमि की रजिस्ट्री स्वयं नफीसउल्लाह ने अपने ... शेष छोटे भाई थे तथा

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.03.27 16:01:59 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

माताजी पर्दाप्रथा के कारण घर से बाहर नही निकलती थी । बडे भाई नफीसउल्लाह अपने परिवार को लेकर सवाई माधोपुर चला गया। कय विकय का कार्य माताजी नफीसउल्लाह से करती थी। नफीसउल्लाह ने शपथ पत्र मे उक्त इकरारनामा स्वीकार किया है। जिस पर स्वयं के एवं मौतबिरान के हस्ताक्षर है। इस प्रकार प्रार्थीगण प्रतिवादी नईमउल्लाह व नफीसउल्लाह का नाम हजफ कराने के अधिकारी है। दिनांक 25.6.14 को भूमि ख0न0 207 मे प्रार्थीगण का 1/2 हिस्सा कराने की अप्रार्थीगण से कहने पर उनके द्वारा मनाही कर देने एवं आग बबूला होने से वाद कारण उत्पन्न हुआ। अप्रार्थीगण उक्त भूमि को रहन बय करने पर आमादा होने से अप्रार्थीगण को तादावा अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि खाता संख्या 248,249 व 250 के 1/2 हिस्से की मौके व राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाई रखी जावे तथा भूमि का परिवर्तन नही कर रहन बय नही करे। इस प्रकार की इस्तदुआ अधिनस्थ न्यायालय से प्रार्थीगण/अपीलांट द्वारा चाही जाने पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थी/अपीलांट का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने से व्यथित होकर अपीलांट/प्रार्थीगण द्वारा यह अपील इस न्यायालय मे पेश की गई है।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। रेस्पो0 को नोटिस जारी कर तलब किया गया। बहस उभयपक्ष अधिवक्तागण की अपील पर सुनी गई।

अपीलांट के अधिवक्ता ने अपील मे अंकित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि विरूद्व होने से निरस्त योग्य है। अधिनस्थ न्यायाल द्वारा प्रार्थना पत्र के तीनो बिन्दुओ प्राईमाफेसी केस, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णनीय क्षति का बिवेचन किये बिना ही निर्णय पारित किया है। जो कानूनी रूप से आवश्यक था। ख0न0 207 बाबत अपीलांट की प्रार्थना इसलिए खारिज की गई है क्योकि दस्तावेज दिनांक 13.4.98 शपथ पत्र की छाया प्रति है। जिसे नईमउल्लाह अपने जबाब मे अस्वीकार कर रहा है। लिहाजा अपीलांट इस ख0न0 हेतु कोई रिलीफ प्राप्त नही कर सकते, जो फाईन्डिग अधिनस्थ न्यायालय की गलत है। उस पर नईमउल्लाह के हस्ताक्षर है या नही यह दावे मे तय किये जावेगे। दस्तावेज दिनांक 13.4.98 पूर्णतया साबित है। दस्तावेज मे क्या लिखा है कानूनी रूप से पढा जाना आवश्यक है। कानूनन सेटलमेंट के जरिये जमीन की व्यवस्था की जा सकती है। जिसे समझने मे अधिनस्थ न्यायालय ने भूल की है। दस्तावेज पर नईमउल्लाह सहित परिवार के अन्य लोगो के हस्ताक्षर है। अधिनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर गौर नही किया कि जिस वक्त यह भूमि नईमउल्लाह की खातेदारी मे आई उस समय नईमउल्लाह की उम्र 13 वर्ष थी। भूमि 1958 मे नीलामी से खरीदी गई थी जिससे स्पष्ट है कि भूमि पिता द्वारा संयुक्त परिवार की आय से खरीदी है। क्योकि नाबालिंग से कोई संविदा नही कर सकता है। पक्षकारो के मध्य विवाद नही बढे इस स्थिति को देखते हुए अधिनस्थ न्यायालय को अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करनी चाहिए थी। अधिनस्थ न्यायालय ने ख0न0 126 व 131 बाबत यह [illegible] अपीलांट की प्रार्थना खारिज की है कि उक्त भूमि संयुक्त खातेदारी की भूमि है इसलिए अपीलांट को कोई रिलीफ नही दी

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.03.27 16:01:59 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

जा सकती है। किसी भी व्यक्ति को कोई अधिकार प्राप्त नही है कि वे अकेले भूमि का लाभ प्राप्त करे। संयुक्त खातेदारी की भूमि होने से मात्र से यह नही कहा जा सकता कि कोई संयुक्त खातेदार अपने हिस्से को प्रोटेक्ट नही करा सकता है। विवादित भूमि भी दस्तावेज दिनांक 13.4.98 के अनुसार अपीलांट के हक मे पारिवारिक समझौते के तहत आई है जिस पर अपीलांट का ही कब्जा था एवं नफीसउल्लाह को ख0न0 127 व 356 की भूमि रकबा 4 बीघा 13 विस्वा बंटवारे मे देकर कब्जा दे दिया है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत काउन्टर क्लेम का कोई निर्णय पारित नही किया गया है। पारिवारिक समझोते दिनांक 13.4.98 को अपीलांट दावे मे साबित करेगा एवं दावे मे ही पक्षकारो के समस्त हक हकूक तय होगे। ऐसी स्थिति मे प्रार्थना पत्र अरथाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाना चाहिए था। हक त्याग पक्षकारो ने बंटवारा करने के काफी समय बाद लिखा था जिसका कानूनन स्टापित होना या रजिस्टर्ड होना भी आवश्यक नही है। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय इल्लीगल ,इम्प्रोपर होने से निरस्त योग्य है। अतःअपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त फरमाय जावे।

रेस्पो0 के अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस कथन किया कि विवादग्रस्त आराजी ख0न0 207 का रेस्पो0/अप्रार्थी संख्या 1 के अलावा अन्य किसी का कोई संबंध नही है। ख0न0 126 रकबा 7 बीघा 15 विस्वा भूमि मे से 1/2 हिस्से मे अपीलांट एवं रेस्पो0नफीसउल्लाह के वारिसान हिस्सेदार है अर्थात ख0न0 126 के आधे हिस्से मे हमारे 5 हिस्से है। इसी प्रकार ख0न0 131 रकबा 20 बीघा 1 विस्वा के 1/2 हिस्से मे प्रार्थीगण तथा अप्रार्थी नफीसउल्लाह के वारिसान हिस्सेदार है अर्थात ख0न0 131 के आधे हिस्से मे हमारे 5 हिस्से है। जिस पर बराबर बराबर काबिज काश्त है। अपीलांट ख0न0 126 एवं 131 मे रेस्पो0संख्या 1 को कोई हिस्सा नही देना चाहते है। अपीलांट के परिवार के लोग सरकारी नौकर होने के कारण रेस्पो0 पर दबाब बनाकर मकान व ख0न0 126 व 131 के रेस्पो0 के 1// हिस्से को हडपना चाहते है। आराजीयात का रेस्पो0 एक मात्र मालिक होने के कारण उक्त आराजीयात को अपने पुत्रो को जरिये रजिस्टर्ड दान पत्र हस्तान्तरित कर कब्जा संभलाया गया है। दान पत्र पूर्ण रूप से बैध है। प्रार्थीगण दानग्रहिता की आराजीयात मे कब्जा करने पर आमादा है। प्रार्थीगण अप्रार्थीगण की भूमि को हडपना चाहते है। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र फर्जी हस्ताक्षर से बनाया गया है। भूमि ख0न0 126 व 131 मे अपीलांट व अप्रार्थी संख्या 1 का 1/2 हिस्सा है। मुस्लिम लॉ सैक्शन 121 के अनुसार पिता के जिन्दा होते रहते बच्चो का हिस्सा तय नही होगा। प्रकरण मे दान पत्र को चेलेन्ज नही किया जा सकता है। इसे सिविल कोर्ट मे ही चेलेन्ज किया जा सकता है। ख0न0 207 विशुद्व रूप से अप्रार्थी संख्या 1 के नाम ही रहा है। इसमे अपीलांटान सहखातेदार भी नही रहे है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा जमाबंदी सम्वत 2050 से 2053 के अनुसार भूमि ख0न0 207 अप्रार्थी संख्या 1 [illegible] मे दर्ज होना माना है। प्रार्थीगण/अपीलांट इस भूमि मे अपना 1/2 हिस्सा क्लेम करते है। जिसका आधार लिखित शपथ पत्र को बताया गया है। जो विधिक रूप से [illegible] अधिनस्थ न्यायालय ने माना है। भूमि ख0न0 126 व 131 प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 1 की सहखातेदारी की होने के कारण

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.08.27 16:01:59 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

ही अधिनस्थ न्यायालय द्वारा सहखातेदार को पाबन्द किया जाना उचित नही मानते हुए प्रार्थीगण/अपीलांट का प्रार्थना पत्र विधि अनुसार खारिज किया गया है। इस प्रकार अपीलांट की अपील खारिज योग्य है। अतः खारिज फरमाई जावे।

उभयपक्ष अधिवक्तागणो की बहस पर मनन किया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया। जिससे यह तथ्य सामने आये कि विवादित आराजीयात मुताबिक फोटोकापी नकल जमाबंदी सम्वत 2050 से 2053 के ख0न0 207 ग्राम मलारना डूँगर की अप्रार्थी संख्या 1 नईम उल्लाह की खातेदारी मे दर्ज रिकार्ड है। अपीलांट द्वारा इस भूमि मे 1/2 हिस्से को प्राप्त करने हेतु वाद पेश किया गया है। जिसका आधार रेस्पो0नईमउल्लाह द्वारा लिखित एक शपथ पत्र को बताया है। शपथ पत्र अप्रमाणित दस्तावेज है। अप्रमाणित दस्तावेज के आधार पर भूमि पर हक व कब्जा सिद्व नही होता है। भूमि के हक एवं अधिकार दावे मे तय किये जाने है प्रस्तुत अपील अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र मे पारित निर्णय के विरूद्व प्रस्तुत की गई है। अपीलांट जिस फेमिली सेटलमेंट का कथन करते है उन सभी तथ्यो को दावे मे तय किया जाना है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा सहखातेदार होने के कारण सहखातेदार के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नही होने एवं प्राईमाफेसी केस व सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण/अपीलांट के पक्ष मे सिद्व नही होने के कारण ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है। अपीलांट को अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय से किस प्रकार अपूर्णनीय क्षति होने की संभावना है उनके द्वारा तथ्य सिद्व नही किया है ना ही दौराने बहस कथन किया है। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि अनुरूप है। जिसमे किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नही होने से अपीलांट की अपील खारिज योग्य है।

अतःअपील अपीलांट खारिज योग्य होने से खारिज की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय उप जिला कलक्टर, मलारना डूँगर के मु0नं0 13/14 निर्णय दिनांक 6.9.19 की पुष्टि की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 9.12.2024 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(लक्ष्मी कांत बालोत)
राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.03.27 16:01:59 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner